जिला कलैक
श्रीगंगानगर
179/20
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 179/2015 अनवार्नी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी वीपीओ डाबला तहसील रायसिंहनगर बनाम प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ

29-11-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उसे प्राप्त हो चुकी है इसलिए अब इस अपील में वे कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसलिए यदि इसे खारिज कर दिया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2015 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:-

> अशोक कुमार पुत्र श्री रामप्रताप (बालिग पुत्र) प्रकरण सं0 111/2007 की मिसल की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि गंगानगर की आर.ए.ए. कोर्ट से डिस्पेच 319/14.08.13 को व प्राप्ति 1427/16.09.13 अनुसार कार्यालय को प्राप्त हुई की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है।

अपीलार्थी श्री अशोक कुमार के अपील पत्र के संबंध में उपजिला कलक्टर अनूपगढ द्वारा प्रतिवेदन सं0 22 दिनांक 11.01.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अशोक कुमार द्वारा मिसल न0 111/2007 सरकार बनाम अशोक कुमार बालिग पुत्र निर्णय दिनांक 07.01.2008 की चाही गई प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपजिला कलक्टर अनूपगढ द्वारा उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है और अपीलार्थी भी अब इस अपील पर आगे कोई कार्रवाई नही चाहते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी उपजिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/16

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर